तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/3441/2006/गंगानगर** **हाकम सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप0 राजकीय अधिवक्ता।

आदेश

दिनांकः—02.12.2025

1— यह निगरानी न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—04—2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है कि प्रार्थी द्वारा जरिये एग्रीमेण्ट दिनांक 09—05—88 प्रश्नगत आराजी 50 बीघा चक 5 ए0पी0एम0 ए मु0नं0 306/423 व 306/424 नन्दकिशोर पुत्र चौथमल आवंटी द्वारा बिना शमन शुल्क भुगतान किये क्रय की गयी है। असल में विक्रय पत्र दिनांक 12—07—91 द्वारा प्रश्नगत आराजी का क्रय प्रार्थी द्वारा किया गया था व कोई शमन शुल्क देय नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि आवंटी द्वारा एक एग्रीमेण्ट साहीराम नामक व्यक्ति के नाम निष्पादित किया गया था जिसके द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध अति0 जिला न्यायाधीश के समक्ष वाद दायर किया गया। उक्त वाद में पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाने से उक्त वाद को विड्रो कर लिया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी को उक्त वाद के विड्रो कर लिये जाने के उपरांत क्रय किया गया था एवं विक्रय पत्र के पूर्व में प्रार्थी को कोई स्वामित्व, हित व अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। जब प्रार्थी शमन शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ थे तो अधीनस्थ न्यायालय भूमि के पुनर्ग्रहण का आदेश कैसे प्रदान कर सकती थी। सिंचित भूमि के प्रकरण में देय शमन शुल्क 20000 प्रति 25 बीघा व बारानी व बिना कब्जे वाली भूमि के प्रकरण में देय शमन शुल्क 4000 रूपये प्रति 25 बीघा है। हस्तगत प्रकरण में कुछ भूमि सिंचित है व कुछ भूमि बारानी अतः कुल देय शमन शुल्क 35000/— देय होता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त शमन शुल्क को 3,00,000 मान कर त्रुटि कारित की है। प्रार्थीगण कानून का सम्मान व पालन करने वाले अशिक्षित किसान वर्ग के व्यक्ति है यदि माननीय मण्डल द्वारा यह माना जाता है कि वे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं तो वे शमन शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन भुगतान की जाने वाली राशि का निर्णय मण्डल द्वारा किया जाना है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रासंगिक नियमों को देखे बिना सरसरी तौर पर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है। जब प्रकरण विचाराधीन था तो ऐसे में प्रकरण के अंतिम निस्तारण से पूर्व शमन शुल्क प्रार्थी द्वारा नहीं जमा कराया जा सकता था उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानकर पुनर्ग्रहण के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की गयी है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 31—03—2006 तक शमन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि ऐसी कोई तिथि सरकार द्वारा नहीं बतायी गयी है एवं शमन शुल्क जमा कराने की समय सीमा समय—समय पर बढायी गयी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/3441/2006/गंगानगर** **हाकम सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सरकार की अधिसूचना दिनांक 22–04–91 के द्वारा बेदखली और जुर्माने के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अति0 कलक्टर सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–04–2006 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011 (1) पेज 417 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि प्रश्नगत आराजी के सम्बंध में प्रथम इकरारनामा दिनांक 26–07–1987 को हुआ था। दूसरा इकरारनामा दिनांक 09–05–88 को हुआ है। निगराकार ने जैरबहस भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 09–05–88 आवंटी के पुत्र नन्दकिशोर से बिना स्वीकृति क्रय की थी। दिनांक 09–05–88 को ही धारा 13 ए में नियमन हेतु जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 30–10–92 को जिला कलक्टर को प्रेषित की गयी। जिस पर दिनांक 18–06–2004 को उक्त भूमि को रिज्यूम करने के आदेश पारित किये गये। निगराकार द्वारा समयावधि में शमन फीस जमा नहीं करायी गयी और न ही निगराकार समन राशि जमा कराना चाहते हैं। उपर्युक्त स्थिति में उक्त प्रश्नगत आराजी को रिज्यूम कर बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे।

5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानूपर्वक अध्ययन किया। निगराकारगण ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् राज0 उपनिवेशन सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 19 के अन्तर्गत चक 5 ए0पी0एम0 तहसील अनूपगढ का मु0 नं0 306/423 व 306/424 रकबा 49 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड रकबा प्रार्थीगण के नाम से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए के अन्तर्गत शमन शुल्क जमा करवाकर नियमन करने हेतु पेश किया गया। न्यायालय अति0 कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 24–08–2006 के द्वारा निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए निगराकार द्वारा उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 ए (1 क) के अन्तर्गत नियमन शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि दिनांक 13–03–2006 तक में जमा नहीं करवाये जाने पर प्रश्नगत आराजी को रिज्यूम कर बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय अति0 कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–04–2006 से व्यथित होकर निगराकारगण ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। प्रश्नगत भूमि वाके चक 5 ए0पी0एम0 ''ए'' के पत्थर नम्बर 306/423 एवं 406/424 की 50 बीघा भूमि आवंटी चौथमल पुत्र सीताराम को दिनांक 26–06–61 को आवंटित हुई थी जिसकी खातेदारी सनद दिनांक 30–01–85 को जारी की गयी। निगराकार द्वारा उक्त भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 09–05–88 को आवंटी के पुत्र नन्दकिशोर से बिना स्वीकृति क्रय की गयी थी जिसपर उक्त दिनांक 09–05–88 को ही निगराकार ने धारा 13 ए में नियमन हेतु जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी। उक्त आराजी जो निगराकार ने जरिये इकरारनामा क्रय की थी पर नियमन शुल्क जमा नहीं करवाये जाने से दिनांक 23–04–96 को भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 18–06–2004 को प्रश्नगत आराजी को रिज्यूम करने के आदेश पारित कर दिये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/3441/2006/गंगानगर** **हाकम सिंह व अन्य बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गये थे। निगराकार द्वारा धारा 13 ए की नियमन फीस जमा नहीं करवायी गयी थी। उपर्युक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 28–04–2006 के द्वारा निर्णय पारित किया है जिसमें उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 ए(1 क) के अन्तर्गत नियमन शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि दिनांक 31–03–2006 तक जमा नहीं कराये जाने पर प्रश्नगत आराजी को रिज्यूम कर बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। हम अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्री गंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–04–2006 से सहमत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–04–2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य